



हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग



वार्षिक योजना बजट

2023-24

के लिए

माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु
दिनांक 01, 02 तथा 03 फरवरी, 2023 को
माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में
आयोजित बैठकों की कार्यवाही ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

विषय सूची

क्र. सं. / जिला	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पृष्ठ
1.	2.	3.
सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, के स्वागत भाषण का संक्षिप्त विवरण ।		1
1. ऊना		
1.	गगरेट	1
2.	ऊना	2
3.	कुटलैहड़	2-3
2. हमीरपुर		
1.	भोरंज	3
2.	सुजानपुर	3-4
3.	हमीरपुर	4
4.	बड़सर	4-5
3. कुल्लू		
1.	मनाली	6
2.	बन्जार	6
3.	आनी	6-7
4. सिरमौर		
1.	पच्छाद	7
2.	नाहन	7-8
3.	श्री रेणुका जी	8-9
4.	पावंटा	9-10
5. काँगड़ा		
1.	नूरपुर	10
2.	झन्दौरा	10
3.	जसवां-प्रागपुर	10-11
4.	फतेहपुर	11
5.	ज्वालामुखी	11-12
6.	जयसिंहपुर	12-13
7.	सुलह	13-14
8.	कांगड़ा	14
9.	शाहपुर	14-15
10.	धर्मशाला	16
6. सोलन		
1.	नालागढ़	16-17
2.	कसौली	17-18

7. बिलासपुर		
1.	झंडूता	18
2.	घुमारवीं	18-19
3.	बिलासपुर	19-20
4.	श्री नैना देवी जी	20-21
8. मण्डी		
1.	करसोग	21
2.	सुन्दरनगर	21-23
3.	नाचन	23
4.	द्रंग	23-24
5.	जोगिन्द्रनगर	24
6.	धर्मपुर	24-25
7.	मण्डी	25-26
8.	बलह	26
9.	सरकाघाट	26-27
9. चम्बा		
1.	चुराह	27-28
2.	भरमौर	28
3.	चम्बा	28-29
4.	डलहौजी	29-30
10. शिमला		
1.	चौपाल	30-31
2.	ठियोग	31
3.	शिमला	31-32
4.	रामपुर	32-33
11. लाहौल-स्थिती		
1.	लाहौल-स्थिती	33-34
मुख्य सचिव, हिं0 प्र0 सरकार, का धन्यवाद प्रस्ताव ।		34-35
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश ।		35-42
माननीय मुख्य मन्त्री का उद्घाटन भाषण (अनुबन्ध 'क')		43-44
दो दिवसीय बैठकों की जिलावार समय सारणी ।		45
जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार बैठकों में भाग लेने वाले माननीय मन्त्रियों एवं विधायकों का व्यौरा ।		46-47

8.	सीवरेज सिस्टम रेणुका का सुधार किया जाए।	जल शक्ति/ शहरी विकास विभाग
9.	सी.आर.एफ. के तहत गिरी नदी पर बनने वाले डबल लेन पुल के निर्माण में लगने वाली वन आपत्तियों का निपटान कर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	Govt. Degree College ददाहू में भवन निर्माण और बस अडडे के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को FCA clearance शीघ्र प्रदान कर भूमि स्थानांतरित की जाए।	वन / शिक्षा/उद्यान परिवहन विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान शैक्षणिक, स्वास्थ्य, विद्युत तथा अन्य सभी विभागों के नए संस्थान/कार्यालय खोलने, अपग्रेड करने के स्थान पर इन सभी संस्थानों/कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
12	विद्युत विभाग में फिल्ड स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	HPSEBLtd.
13	निर्वाचन क्षेत्र के सब डिवीजनों पौंट, नाहन, संगड़ाह आदि को re-organize किया जाए तथा सभी विभागों के कार्यालयों की सुविधा एक छत के नीचे प्रदान किए जाएं।	राजस्व/ग्रामीण विकास/ सम्बन्धित विभाग/ उपायुक्त
14	हैण्डपम्प लगाने की बन्द की गई योजना को पुनः चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
15	प्रदेश में ओबीरी जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए मिलने वाली संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा सभी पात्र लोगों को आवास योजना में मिलने वाली धनराशि को भी 1.5 लाख से बढ़ाया जाए।	SOMA Deptt./ सम्बन्धित विभाग
16	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि०मी० की दूरी बढ़ रही है। इसके स्थान पर यहां पर एक सुरंग का निर्माण किया जाए।	HPPCLtd. / लोक निर्माण विभाग

4. श्री सुखराम चौधरी, पौंटा

1.	B&R Sub Division पुरुवाला, दो पशु औषधालय, पटवार सर्कल खोलने तथा सब तहसीलें अपग्रेड करने, की जो अधिसूचनाएं रद्द की गई हैं उसे पुनः बहाल किया जाए।	लोक निर्माण/पशु पालन/राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	हिमाचल तथा उत्तराखण्ड को जोड़ने वाले पुल का निर्माण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है इसकी पूरी कनेक्टीविटी के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से केवल 1 कि०मी० की सड़क का निर्माण किया जाना है जिसके लिए विभाग शीघ्र भूमि अधिग्रहण कर कार्य सड़क निर्मित करें।	लोक निर्माण विभाग
3.	गिरी नदी से निकलने वाली दो नहरों की दयनीय/ जर्जर स्थिति को सुधारा/मुरम्मत शीघ्र की जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा निरन्तर मिलती रहे ।	जल शक्ति विभाग
4.	जिला सिरमौर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रस्तावित 220 के.वी., 132 के.वी. सीसीए राजबन, 132 के.वी. चारण्डा के सब-स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए साथ ही 220 के.वी. खोदरी माजरी लाईन के लूप-इन लूप-आउट कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाए ताकि स्थानीय जनता तथा उद्योगों के लिए निरन्तर सुचाल विद्युत आपूर्ति हो सके।	HPTCLtd.
5.	कालाअम्ब 440 के.वी. सब-स्टेशन बनकर तैयार है। लाईनों की वन आपत्तियों का निपटारा शीघ्र विद्युत आपूर्ति की जाए।	वन विभाग/ HPTCLtd.
6.	नगर परिषद पौंटा को नगर निगम बनाया जाए।	शहरी विकास वि०

1 0	चम्बी खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए।	युवा खेल सेवाहं विभाग
1 1	सब्जी मण्डी गोरड़ा में खोली जाए।	कृषि विषयन बोर्ड
1 2	झुलाइ नामक स्थान में लगभग 210 कनाल भूमि पर एग्रीकलचर फार्म है इसमें स्वीकृत पदों को बहाल कर भरा जाए।	कृषि विभाग
1 3	शाहपुर अस्पताल के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
1 4	शाहपुर में उद्योग स्थापित किये जाएं।	उद्योग विभाग
1 5	सैनिकों के लिए शाहपुर में ईसीएचसए, सीएसडी कैन्टीन, रेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा/राजस्व विभाग
1 6	बन्द की गई दो मुद्रिका बसों तथा एक कोटला गुडगांव बस सेवा को बहाल किया जाए।	परिवहन विभाग
1 7	प्रमुख अभियन्ता प्रोजेक्ट का जो कार्यालय कांगड़ा से मण्डी ले जाया गया है इसे पुनः कांगड़ा वापिस लाया जाए।	जल शक्ति विभाग
1 8	वन विभाग का आरपीडी का कार्यालय भी कांगड़ा से सोलन ले जाया गया है इसे पुनः कांगड़ा वापिस लाया जाए।	वन विभाग
1 9	बोह क्षेत्र में लगभग 10 लोगों की जान गई, लोग बेघर हुए उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा
2 0	क्षेत्र के लिए बल्ह-नडडी-करेरी-खड़ीबोही रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
2 1	नडडी मे ईको पार्क का निर्माण किया जाए।	वन/ पर्यटन विभाग
2 2	बीडीओ कार्यालय शाहपुर के पुराने भवन को तोड़कर नये भवन का निर्माण किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
2 3	सभी माननीय विधायकों को स्थानीय स्तर कोटर्मिनंस स्टाफ तथा बैठने के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही जब कोई विधायक किसी अधिकारी को यदि किसी मामले में कॉल करता है तो उसे वापिस उत्तर मिलना चाहिए।	सामान्य प्रशासन
2 4	एसडीएम कार्यालय शाहपुर में पानी तथा बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए उपायुक्त के माध्यम से उपयुक्त धनराशि जारी जाए।	उपायुक्त
2 5	राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग सेन्टर (मेडिकल इन्जीनियरिंग/ सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु) स्वीकृत किया जाए तथा अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
2 6	राजकीय महाविद्यालय लंज में पानी तथा बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए उचित धनराशि का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग
2 7	निर्वाचन क्षेत्र शाहपुर की सूखाहार सिंचाई परियोजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2 8	शाहपुर को ट्राउट हब (मतस्य क्षेत्र के रूप में) बनाने के लिए उचित कार्य किया जाए जिसके लिए क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में ट्राउट सेन्टर भी उपलब्ध हैं।	मतस्य विभाग
2 9	बन्द की गई बस सेवाओं कोटला-शाहपुर-कांगड़ा दिल्ली, कोटला-शाहपुर-कांगड़ा-हरिद्वार तथा कांगड़ा-शाहपुर-कांगड़ा-बददी का पुनः संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
3 0	शाहपुर क्षेत्र के कलियाड़ा तथा रजोल में ओबीरी भवन निर्माण कार्य के लिए उचित धनराशि का प्रावधान किया जाए।	SOMA
3 1	शाहपुर में आईटी पार्क स्थापित किया जाए।	IT Deptt.
3 2	धरकण्डी क्षेत्र में पर्यटन विभाग का होटल खोला जाए।	पर्यटन विभाग

7.	नकदी फसल में बढ़ोतरी करने के लिए 100-200 हैं 0 के स्थान पर 1000 से 2000 प्रति हैं 0 भूमि प्रस्तावित किया जाए इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।	कृषि विभाग
7. जिला विकासपुर		
1. श्री जीत राम कटवाल, झण्डूता		
1.	सीर खड़ के डैम बनाने की डी.पी.आर. को शीघ्र केन्द्र से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2.	गुण्गा गेहड़वीं के पास छमाण नामक स्थान पर सुरंग का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	ज्योरिपतन-स्वारधाट रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
4.	किरतपुर से बागछाल के साथ कोटधार की खाली भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
5.	निर्वाचन क्षेत्र के लिए 132 के.वी. सब-स्टेशन के लिए 15-18 बीघा भूमि सुन्हाणी में उपलब्ध है शीघ्र इसके कार्य को आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPSEBLtd.
6.	विद्युत विभाग का डिवीजन झण्डूता में खोला जाए।	HPSEBLtd.
7.	मिनी सचिवालय झण्डूता के निर्माण हेतु उचित बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	राजस्व विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र में डिनाटीफाई किए गए संस्थानों को पुनः बहाल किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग/ सामान्य प्रशासन
9.	निर्वाचन क्षेत्र के बर्ठी, तलाई से बस सेवाएं आरम्भ की जाएं।	परिवहन विभाग
10.	प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवारों ने सरकारी 2-3 बिस्ता भूमि पर मकान बनाए हैं इन्हे नियमित करने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाए तथा शीघ्र इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए।	वन / राजस्व विभाग
11.	सब-तहसील शहतलाई और पटवार सर्कल मलरौण (Malraon) को खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
12.	जल शक्ति सब-डिवीजन शहतलाई तथा विद्युत विभाग के सब-डिवीजन जेजर्वी को खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
13.	पीएचसी ठाठल, जांगल, चामटा, सीएचसी कलोल तथा गेहड़वीं को खोलने/अपग्रेड करने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2. श्री राजेश धर्माणी, घुमारवी		
1.	प्रदेश में मैकेनाईज़इ र्लाटर हाउसों का निर्माण किया जाए जिसके लिए एपीडा से भी फण्ड प्राप्त किए जा सकते हैं।	पशु पालन विभाग
2.	माता नैनादेवी जी तथा बाबा बालक नाथ मन्दिर के बीच की सड़क दूरी को कम करने के लिए गोविन्द सागर झील पर केबल फैरी रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
3.	हिमाचल प्रदेश फल उत्पादक प्रदेश है लेकिन यहां का अधिकतर फल बर्बाद होता है। इसे बर्बादी से बचाने के लिए प्रदेश में फलों से शराब बनाने की नीति बनाई जाए।	उद्यान/ आयकर विभाग
4.	प्रदेश के अनाथ, अपांग, विधवाओं की मकान बनाने के लिए अलग श्रेणी निर्मित की जाए। साथ ही डैहर अनाथ आश्रम का सुधार/विस्तार किया जाए।	SOMA/ महिला बाल विकास विभाग
5.	प्रदेश के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों को रेशनेलाईज किया जाए।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग
6.	भवन निर्माण सामग्री (क्रशर) में मूल्य एक समान होना चाहिए।	उद्योग विभाग

	पानी व्यर्थ न बहे और दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाए जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।	
9.	बिलासपुर जिला में 1400 करोड़ रु0 के प्रोजेक्ट को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPTCLtd.
10	औहर होटल के साथ रु0 103-104 करोड़ की लागत से बनने वाले बझावानी पुल का निर्माण कार्य तीव्रगति के साथ शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
11	भानुपली-बिलासपुर रेल लाईन में बिलासपुर से बरमाणा तक की भूमि को शीघ्र अधिग्रहित कर उचित मुआवजा लोगों को प्रदान किया जाए।	परिहवन विभाग
12	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर के छोटे-छोटे कस्बों में लो वोल्टेज की समस्या, सड़क के साथ दुकानों तथा साथ लगते एरिया में बिजली की तारों के स्थान पर ओवरहैंड केबल का प्रयोग किया जाए।	HPSEBLtd.
13	आईटीआई के स्थान पर सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में ही तकनीकी शिक्षा के विषय चलाए जाएं।	तकनीकी शिक्षा/शिक्षा विभाग
4. श्री रणधीर शर्मा, श्री नैना देवी जी		
1.	पुलिस चौकी एम्स बिलासपुर को पुनः अधिसूचित किया जाए।	पुलिस विभाग/सामान्य प्रशासन
2.	4-5 पटवार सर्कल को पुनः अधिसूचित किया जाए।	राजस्व विभाग/सामान्य प्रशासन
3.	3-4 पी.एच.सी. को पुनः अधिसूचित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/सामान्य प्रशासन
4.	नैनादेवी जी शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ट्रस्ट की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे थे जैसे लिफ्ट लगाना, गोविन्द सागर झील की तरफ ग्लास पुल, सैल्फी प्वार्इट इत्यादि जो बन्द पड़े हैं इन्हें चालू किया जाए।	पर्यटन विभाग
5.	33 के.वी. सब स्टेशन नैनादेवी जी के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	HPSEBLtd.
6.	नैनादेवी जी तथा बाबा बालकनाथ मन्दिरों को आपस में जोड़ने के लिए केबल फैरी या वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाए।	RTDC/ लोक निर्माण विभाग
7.	गवालठाई में विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाए तथा नए क्षेत्र नंदबैला को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
8.	टिम्बर, बॉस, कृषि तथा बागवानी आधारित उद्योगों को स्थापित कर क्षेत्र का विकास किया जाए।	उद्योग विभाग
9.	पानी की समस्या को हल करने के लिए भाखड़ा के नीचे औरिण्डा के पास से बन रहे प्रोजेक्ट को तीव्रगति से पूरा किया जाए तथा कोलडैम से जुखाला के ऊपरी क्षेत्रों के resources charge करने के लिए उठाऊ योजना प्रोजेक्ट को केन्द्र के माध्यम से शीघ्र स्वीकृत करवार कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र की झीलों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर क्षेत्र का विकास किया जाए।	पर्यटन विभाग
11	गोविन्दसागर झील के लिए निर्मित सभी कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12	कठवौल धार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
13	सीमेंट प्लांट बन्द चल रहे हैं ट्रांसपार्टरों को ट्रांसपोर्ट सर्बिडी की नीति प्रदान करने बारे सरकार विचार करे।	उद्योग विभाग

3.	जल शक्ति विभाग में सब-डिवीजन कांगू खोलने की अधिसूचना को रद्द किया गया है इसे बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	पशु औषधालय खोलने/स्टरोन्जन करने की अधिसूचना को रद्द किया गया है इसे बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग / सामान्य प्रशासन
5.	10 बिस्तर आयुर्वेदिक अस्पताल सुन्दरनगर की अधिसूचना को रद्द किया गया है इसे बहाल किया जाए।	आयुर्वेद विभाग/ सामान्य प्रशासन
6.	निहरी पुलिस चौकी को थाना बनाया जाए।	पुलिस विभाग
7.	सुन्दरनगर नगर परिषद के पूरे क्षेत्र में बिजली की तारों को भूमिगत करने के कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	शहरी विकास विभाग/ HPSEBLtd.
8.	सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र में सलापड़ से तत्त्वापानी के रूट पर जैटी तथा पास के स्थानों क्याण, करला, दोगरी तथा हाड़ाबोई में भी तीन-चार आधुनिक किस्म की जैटी का प्रबन्ध पर्यटन विभाग या NTPC से करवाया जाए।	पर्यटन विभाग/ HPPCLtd.
9.	सुन्दरगर के सुकेत में झील के किनारे कैफे चल रहा है जहां पर दो कमरे भी हैं। इस कैफे के विस्तारीकरण के लिए Convention Hall के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रु0 का ऐस्टीमेट तैयार किया गया है इसे शीघ्र मंजूर कर कार्य आरम्भ किया जाए। इसमें 10 कमरे, पार्किंग, हॉल इत्यादि के निर्माण की व्यवस्था है।	पर्यटन विभाग
10	एनएच-21 के साथ कलौड़-कपाही-खिलड़ा सड़क पर लगभग 30 मीटर का पुल बना है जिससे बहुत जाम लगता है इसलिए बीबीएमबी के साथ मिलकर यहां पर एक और पुल का निर्माण किया जाए। जिससे आने व जाने के लिए अलग-अलग इस्तेमाल करने से जाम नहीं लगेगा और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा।	लो0नि0 विभाग/ HPPCLtd.
11	कोलडैम बनने से पैदल पुल फूब गया था इसके स्थान पर धनयारा पंचायत के गाँव करला सोलन के गाँव बेरल के लिए नये पैदल पुल का निर्माण किया जाए।	लो0नि0 विभाग/ HPPCLtd.
12	निहरी के अस्थायी हैलीपैड जो सड़क से भी जुड़ा है, का स्थायी तौर पर निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग
13	नगर परिषद सुन्दरनगर में कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पद को शीघ्र भरा जाए।	शहरी विकास विभाग
14	पुंग-धांगणु-तलेली-डैहर सड़क की डीपीआर को भारतमाला में स्वीकृत कर शीघ्र इसका कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	झंडोर स्टेडियम सुन्दरनगर के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
16	लोक निर्माण विश्राम गृह सुन्दरनगर के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17	सीनियर सकैण्डरी स्कूल तलेली के नए भवन निर्माण के लिए टैण्डर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
18	मेडिकल कॉलेज सुन्दरनगर में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 तथा कैन्सर अस्पताल निर्माण की प्रस्तावना शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजकर इसे स्वीकृत करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
19	पंडोह, सलापड़ तथा सुन्दरनगर में बीबीएमबी छारा स्कूल चलाए जा रहे हैं वहां पर अध्यापकों के पदों को पूर्ण रूप से भरकर कक्षाएं चलने दी जाएं।	शिक्षा विभाग/ HPPCLtd.
20	निर्वाचन क्षेत्र में शिलान्यास/पटटिकाएं तोड़ी गई हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग पुनः उसी स्थान पर स्थापित करे और पुलिस विभाग ऐसे दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।	पुलिस/ सम्बन्धित/ लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग

3.	सरकारी बस अड्डे को पीपीपी मोड पर प्रदान कर पार्किंग, शॉपिंग कॉम्पलैक्स इत्यादि का निर्माण किया जाए जिससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतारी की जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
4.	रोगी कल्याण समितियों को रिवार्ड्व किया जाए ताकि अस्पतालों का उचित रख-रखाव हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
5.	निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश के पंचायत घरों में चौकीदार तथा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।	पंचायती राज विभाग/ सामान्य प्रशासन
6.	2011–12 का ड्राईविंग स्कूल पपलोग में बनकर तैयार है उपयोग में न होने के कारण इसे अन्य कार्यालयों के उपयोग हेतु प्रदान किया जाए। इसमें सैनिक स्कूल/एनडीआरएफ की यूनिट दी जाए।	परिवहन विभाग/ उपायुक्त
7.	अटल आर्द्ध विद्यालय के अधूरे कार्य को पूर्ण कर इसका सुचारू संचालन किया जाए।	शिक्षा विभाग
8.	बैम्बू कलेक्शन सेन्टर निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाए।	वन/उद्योग विभाग
9.	निर्वाचन क्षेत्र में रेशम कीट पालन की प्रोसेसिंग यूनिट विद्यमान है बड़े उद्योग के रूप में इसका सुधार/विस्तार किया जाए।	उद्योग विभाग
10	108 एम्बुलेन्स की नीति में सुधार किया जाए। साथ ही यदि कोई एम्बुलैन्स अस्पताल को या 108 ऐजेंट्सी को दान करता है तो उसके संचालन की जिम्मेदारी भी 108 की ही सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11	जोगिन्द्रनगर-धर्मपुर को जोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री सेन्ट्रु/पुल को डबल लेन करने के कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12	धर्मपुर क्षेत्र के रिहायशी इलाकों की खड़ों का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
13	धर्मपुर तथा सन्धोल नगर परिषद के लिए मल निकासी की योजनाएं प्रदान की जाएं।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
14	कमलाह ईस्ट देव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC

7. श्री अनिल शर्मा मण्डी

1.	थाना पलां प्रोजेक्ट (191 MW) जो कि 400 मी० की परिधी में ही तैयार हो सकता है का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	HPPCLtd.
2.	राजीव डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण भौगोलिक (पहाड़ी तथा मैदानी) स्थिति को ध्यान में रखकर पूरी आधुनिक नीति के साथ किया जाए। साथ ही इसमें नियुक्त होने वाले अध्यापक समर्पित होने चाहिए जो ट्रांसफर में न उलझकर अपनी सेवा गुणवत्ता से प्रदान करें।	शिक्षा विभाग
3.	प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से भी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करने की नीति तैयार होनी चाहिए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	नगर निगम मण्डी के लिए ₹0 15 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जाएं।	शहरी विकास विभाग
5.	शिवधाम प्रोजेक्ट के कार्य को पूर्ण किया जाए।	पर्यटन विभाग
6.	मण्डी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूमि शिक्षा विभाग के नाम की जाए।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग
7.	मण्डी बाईपास सड़क को शीघ्र नाबार्ड से रवीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण वि०
8.	बल्ह में बनने वाले एयरपोर्ट को नंदगढ़ नामक स्थान पर निर्मित करने बारे विचार किया जाए जिसके लिए एनएच के लगभग 7 किमी नजदीक 100 बीघा सरकारी तथा 200 बीघा निजी भूमि भी कम लागत पर अधिग्रहित की जा सकती है।	पर्यटन विभाग
9.	बस अडडा मण्डी को लोकल बस अड्डे से 2 किमी आगे की भूमि पर आधुनिक रूप में भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण

10	मण्डी से जेल स्थानांतरित होनी है शीघ्र की जाए साथ ही पूर्ण बजट प्रावधान कर निर्माण कार्य तीव्रगति से आरम्भ/पूरा किया जाए।	पुलिस/ लोक निर्माण विभाग
11	मण्डी ठाउन की डीपीआर को माननीय विधायक के साथ मिलकर/रिवाईज कर अन्तिम रूप प्रदान किया जाए।	शहरी विकास विभाग
12	मण्डी अस्पताल में ऐनेसिथसीया का डॉक्टर नियुक्त किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
13	मण्डी मातृ एवं शिशु अस्पताल में पूरे स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14	मण्डी ठाउन, पार्किंग व अन्य निर्माण के कार्य एनजीटी के आदेशों के कारण रुका पड़ा है। इन आदेशों का सरलीकरण किया जाए या इन आदेशों को रद्द करवाया जाए।	शहरी विकास विभाग

8. श्री ईन्द्र सिंह गाँधी, बल्ह

1.	विद्युत विभाग के मण्डलीय कार्यालय नेरचौक को खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
2.	आईटीआई रिवालसर को खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	पुलिस चौकी रिवालसर को थाना बनाने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	पशु चिकित्सालय दुर्गपुर तथा पशु औषधालय स्थोली खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग/ सामान्य प्रशासन
5.	सरकाराघाट-हमीरपुर सड़क के अन्तर्गत कलखर-नेरचौक सड़क को चौड़ा (विस्तारीकरण) किया जाए।	लो0नि0 विभाग
6.	मण्डी-बैहना से नलसर वाया गागल सड़क का विस्तारीकरण कर इसे टू-लेन किया जाए।	लो0नि0 विभाग
7.	बल्ह वैली मिडीयम ईरीगेशन प्रोजेक्ट का सुधार कर गाँव के अन्तिम छोर पर बैठे किसानों को भी पानी की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	ग्राम पंचायत रत्ती से नेरचौक, नेरचौक से भंगरोटू, नेरचौक से डडौर तक गन्दे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण के साथ नेरचौक शहर के दोनों तरफ नालियों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर शेष कार्य को पूर्ण किया जाए।	शहरी/ग्रामीण/ पंचायती राज विकास विभाग
9.	सुकेती खड़क का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	रिवालसर-हरिद्वार बस सेवा शुरू की जाए।	परिवहन विभाग
11	रिवालसर से नैणा माता मन्दिर वाया गुदाहण तथा कुम्मी से नेरचौक मेडिकल कॉलेज वाया टांवा, कन्सा चौक के लिए बन्द की गई मुद्रिका बस सेवा को पुनः शुरू किया जाए।	परिवहन विभाग
12	प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवारों ने सरकारी 2-3 बिस्वा भूमि पर मकान बनाए हैं इन्हे नियमित किया जाए।	वन / राजस्व विभाग/ उपायुक्त
13	मण्डी से रिवालसर वाया गागल मुद्रिका बस सेवा का संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
14	निर्वाचन क्षेत्र में बनी छोटी-छोटी सड़कों का विस्तार (extend) किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

9. श्री दलीप ठाकुर, सरकाराघाट

1.	पॉलेटेविज्ञक कॉलेज खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	पशु औषधालय खोलने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग/ सामान्य प्रशासन

3.	सरकाधाट बस अडडे निर्माण को बड़ी बहुमंजिला पार्किंग के रूप में डिजाइन कर बनाया जाए। साथ ही बलद्वाङा में भी बस अडडे का निर्माण किया जाए।	बस प्राधिकरण अडडा
4.	33 के.वी. सब-स्टेशन बलद्वाङा में लगना है इसे 33 के.वी. कलखर के साथ जोड़कर क्षेत्र में बिजली की समर्थ्या का समाधान किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
5.	सरकाधाट बस डिपो में अतिरिक्त बर्सें चलाकर बर्सें की कमी को दूर किया जाए।	परिवहन विभाग
6.	त्रिफालधाट-भटेड़ा-चौकी-कशमैला-चैडीधार-मुरारी माता मन्दिर सड़क के बीच के 4 कि०मी० कच्चे क्षेत्र को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	नवाही-चमयाणु-कोट्टू-गोपालपुर-ठाणा, प्लासी-समैला-घोड़ी मतोली-त्रिफालधाट, सरकाधाट-रोपड़ी-इशा सड़कों की मैटलिंग/टारिंग का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	भांवला औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए।	उद्योग विभाग
9.	सरकाधाट में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10	सरकाधाट में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र में बन्द पड़ी छोटी-छोटी सड़कों को बजट उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग

9. जिला चम्बा

1. श्री हंस राज, चुराह

1.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के दो एडमिन ब्लॉकों का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि केवल से बजट प्राप्त हो सके और इसका संचालन आरम्भ हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
2.	चुराह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएचसी कोहाल, बैरागढ़ तथा तीसा अस्पताल 100 बिस्तर खोलने/करने की जो अधिसूचनाएं रद्द की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	विकास खण्ड चुराह में खोलने की रद्द अधिसूचना को बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	बर्फबारी में बन्द हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। साथ ही विभाग के अतिरिक्त (मशीनरी तथा मैनपॉवर कम होने के चलते) प्राइवेट लोगों को ही सड़क खोलने के टैण्डर प्रदान कर दिए जाएं।	लोक निर्माण विभाग
5.	विद्युत विभाग का डिवीजन तथा सब-डिवीजन तीसा में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खोलने की रद्द अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
6.	एनएच द्रग्मण से पांगी वाया जोत-चुराह की डी.पी.आर. शीघ्र स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	चम्बा जिला को हैलीपोर्ट की सुविधा तथा हैली टैक्सी की सेवा प्रदान की जाए।	पर्यटन विभाग
8.	कुगती, मणिमहेश यात्रा, गढ़ासल महोदय, मैहलवार धार, साच पास इत्यादि क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
9.	डलहौजी क्षेत्र के यीमावर्ती ईलाका पथरी में पर्यटन के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा हटस बनाकर कब्जा किया गया है इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	पर्यटन / पुलिस विभाग
10	लगभग 600 के करीब एसपीओज़ (Special Police Officer) अपनी सेवाएं दुर्गम बर्फले ईलाकों में प्रदान कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए या उचित वेतन के साथ सारे लाभ प्रदान किए जाएं।	पुलिस विभाग
11	बनौड़ी से मन्सा सड़क पर अलवास से ऊपर की सड़क का निर्माण विभाग द्वारा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

1 2	निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों, मनरेगा या अन्य माध्यम से बनी 246 सङ्कों की सुरक्षा/मैटलिंग/टारिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग पूरा करे या ऐसे निर्देश दिए जाएं कि मनरेगा या अन्य माध्यम से इनकी सुरक्षा/मैटलिंग/टारिंग का कार्य पूर्ण किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग
1 3	क्षेत्र के सभी स्कूलों में स्टाफ के लगभग सभी पद रिक्त चल रहे हैं इन रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए। या फिर अन्य माध्यम (मनरेगा/विधायक निधि) से अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाए।	शिक्षा विभाग
2. डॉ० जनक राज, भरमौर		
1.	पीएचसी सुचाल खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/सामान्य प्रशासन
2.	सीएचसी भरमौर में एक ही एम्बुलैन्स है ऐसे दुर्गम/पहाड़ी/बर्फीले क्षेत्रों में एम्बुलैन्सों की संख्या (ड्राईवरों सहित) को बढ़ाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	निर्वाचन क्षेत्र के अधीन सभी सरकारी संस्थानों में कर्मठ, ईमानदार कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो केवल उसी क्षेत्र के लिए समर्पित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करे।	समस्त विभाग
4.	गैर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में गददी समुदाय के लोग रहते हैं इन क्षेत्रों की 24 पंचायतों को TASP से बाहर कर केन्द्रीय योजना Modified Tribal Area Plan में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जाए।	जनजातीय विकास विभाग
5.	पांगी घाटी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 10 मेगावॉट का प्रोजेक्ट लगाया जाए (5 मेगावॉट पांगी घाटी के एक छोर पर तथा दूसरा 5 मेगावॉट पांगी घाटी के दूसरे छोर पर)।	HPPCLtd.
6.	होली-उतराला सङ्क की डीपीआर नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	पठानकोट-भरमौर सङ्क डबल लेन के कार्य में एक लेन रावी नदी के दांड़ी ओर तथा दूसरी लेन रावी नदी के बांड़ी ओर निर्मित की जाए ताकि एक हिस्सा किसी कारण बर्बाद होने पर भी आवाजाही होती रहे।	लोक निर्माण विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश में आवासीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ाया जाए।	शिक्षा विभाग
9.	विद्युत विभाग में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए तथा पूरे वर्ष निर्बाध विद्युत आपूर्ति का सुचाल संचालन सुनिश्चित किया जाए।	HPSEBLtd.
1 0	क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
1 1	भरमौर तथा पांगी में एपीएमसी की या अन्य माध्यम से सज्जी मण्डी का निर्माण किया जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
1 2	प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष दी /ली जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के स्थान पर हैल्थ कार्ड बनाकर, प्रीमियम देकर कैशलैस सुविधा प्रदान करने बारे विभाग विचार करे।	स्वास्थ्य विभाग
1 3	प्रदेश के कारागार/बंदीगृह/जेलों में रह रहे कैदियों का भी हिमकेयर कार्ड बनाकर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग
3. श्री नीरज नैयर्यर, चम्बा		
1.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के दो एडमिन ब्लॉकों का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि केन्द्र से बजट प्राप्त हो सके और इसका संचालन आरम्भ हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
2.	मेडिकल कॉलेज चम्बा में गार्डनियोकलाजिस्ट के 6-7 स्थायी पद स्वीकृत कर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग

3.	जिला चम्बा के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों को स्थायी तौर पर नियमित रूप से नियुक्ति करने के लिए कान्फ्रैक्ट के डॉक्टरों के समान उनके वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि वह समर्पित भाव से वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करे सके।	स्वास्थ्य विभाग
4.	एमरीआई के तहत मेडिकल कॉलेज चम्बा की अप्रूवल शीघ्र प्राप्त की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	मेडिकल कॉलेज में पानी की कमी की आ रही समस्या को हल करने के लिए योजना का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	जंक्शन विद एनएच-154 ऐट धमण, सिंहुंता, चुवाड़ी, जोत, चम्बा, कोटी, तीसा, त्रैला, बैरागढ़, किलाड़ सड़क को केन्द्र से अविलम्ब स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	चम्बा शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पुराने बस अडडे के स्थान पर मल्टीपर्पज भवन का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/परिवहन विभाग
8.	चम्बा टाउन के लिए ₹0 480 करोड़ की डीपीआर को केन्द्र/एडीबी/अन्य माध्यम से 90:10 या 80:20 में स्वीकृत करवाकर विकास कार्य आरम्भ किए जाएं।	शहरी विकास विभाग
9.	उपायुक्त कार्यालय के पीछे की भूमि पर मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाए।	राजस्व विभाग/उपायुक्त
10.	चम्बा इन्डोर स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ ₹0 केन्द्र के पास से लोक निर्माण विभाग को प्रदान करवाए जाएं और निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/लोक निर्माण विभाग
11.	हैलीपोर्ट के नीचे की तरफ की भूमि को सुरक्षित करने के लिए तथा अन्य 3 लैंड स्लाईड क्षेत्रों में भू-स्खलन मिटिंगेशन की डीपीआर को स्वीकृत कर सुरक्षा कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	उपायुक्त चम्बा
12.	सुल्तानपुर-माई का बाग सीवरेज योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग

4. श्री डी. एस. ठाकुर, डलहौजी

1.	पीएचसी भड़ेला व करवाल को खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/सामान्य प्रशासन
2.	बीडीओ कार्यालय बाथरी को खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है इसे बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग/सामान्य प्रशासन
3.	सलूणी के साथ लगता क्षेत्र भांदल से पधरी जोत लंगेरा तक खोल दिया है शेष 15 किमी० की बन्द सड़क को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। साथ ही लिंक सड़कें जो बर्फबारी से बन्द पड़ी हैं को भी खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	सिवील अस्पताल 50 बिस्तर के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य/लोक निर्माण विभाग
5.	पधरी जोत में सलूणी तहसील के अन्तर्गत लगभग 17 हजार बीघा भूमि जम्मू कश्मीर में है इसे वापिस हिमाचल में लाया जाए।	राजस्व विभाग/उपायुक्त
6.	डलहौजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
7.	डलहौजी में बस अडडे का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
8.	नगर परिषद डलहौजी में चल रहे विकास कार्यों को तीव्रगति से पूरा किया जाए तथा आगे वाले पर्यटकों को ढहरने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ डलहौजी नगर परिषद	शहरी विकास/पर्यटन विभाग

	को पर्यटन की दृष्टि से भी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विकसित किया जाए।	
9.	सीएच किहारा तथा सलूणी, क्षेत्र की पीएचसी व सीएचसी में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स व अन्य तकनीकी स्टाफ के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। साथ ही निकाली गई आउटसोर्स के आधार पर अपनी सेवाएं दे रही स्टाफ नर्सों को भी बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10	सलूणी ब्लॉक के पटवार सर्कलों में पटवारी के रिक्त पदों को भरा जाए।	राजस्व विभाग
11	प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कॉलों में प्री-नसर्टी की कक्षाएं आरम्भ की जाएं।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
12	नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित बाथरी से सलूणी, नघेरा 2 लेन सङ्क की डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
13	लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों सलूणी तथा डलहौजी में इर्झिंग ब्रान्च में सभी रिक्त पदों को भरा जाए क्योंकि तभी विकास योजनाओं की कोई भी डीपीआर शीघ्र निर्मित हो सकती है।	लोक निर्माण विभाग
14	हाईडल प्रोजेक्ट भाँदल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए तथा प्रस्तावित हाईडल प्रोजेक्ट सुंडला को स्वीकृत कर इसका भी निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके।	HPPCLtd.
15	पर्यटन की दृष्टि से खजियार, डलहौजी और भलेई माता ऐतिहासिक मन्दिर को रोपवे के साथ जोड़ा जाए।	RTDC
16	जनसंख्या को ध्यान में रखकर आंगनबाड़ी केन्द्र, उप-तहसील, तहसील, पटवार सर्कल खोले जाएं।	राजस्व विभाग
17	कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिटों का निर्माण प्रदेश में किया जाए।	कृषि विपणन/उद्यान विभाग
18	प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाए जाएं।	सहकारिता विभाग
19	नशे पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।	पुलिस विभाग
20	सलूणी के साथ लगते पिछड़े क्षेत्रों की 43 पिछड़ी पंचायतों को सङ्कर्कों के साथ जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग

10. जिला शिमला

1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल

1.	कुपवी, चौपाल तथा नेरवा अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
2.	निर्वाचिन क्षेत्र के लिए पीएचसी खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/सामान्य प्रशासन
3.	कुपवी अस्पताल निर्माण के शेष कार्य को रु0 1 करोड़ बजट उपलब्ध करवाकर पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	कुपवी/देहा में अग्निशमन केन्द्र खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है उसे बहाल किया जाए।	अग्निशमन विभाग/सामान्य प्रशासन
5.	परिवहन विभाग डिपो नेरवा खुला है इसका पूरा संचालन तारोदवी के स्थान पर नेरवा से ही किया जाए। साथ ही वन/भूमि हस्तांतरण आपत्तियों का निपटारा कर भवन निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	परिवहन/वन विभाग
6.	जल शक्ति विभाग में 12-15 साल से बन रही लिफ्ट की योजनाओं को थोड़ा-थोड़ा आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर योजनाओं को पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	सेंज-देहा-चौपाल-नेरवा सङ्क का एनएच के रूप में सुधार/विस्तार /सुदृढ़िकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

8.	66 के.वी डोडापुल स्वीकृत है इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित न करके शीघ्र इसका निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPPTCLtd.
9.	पर्यटन की दृष्टि से सराहं मन्दिर से चूँझार-नौहराधार के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
10	चौपाल मिनी सचिवालय निर्माण के लिए बजट का उचित प्रावधान किया जाए।	राजस्व विभाग
11	शिक्षा तथा विद्युत विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए।	शिक्षा/ विद्युत वि०

2. श्री कुलदीप सिंह राठौर, ठियोग

1.	उद्यान विभाग के रु0 1134 करोड़ के प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट प्रदान की जाए।	उद्यान विभाग
2.	ठियोग में 5 सालों से रु0 150 करोड़ की लागत से बन रही पेयजल योजना के कार्य को तीव्रगति व गुणवत्ता के साथ पूरा कर क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या को हल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	ठियोग क्षेत्र में बरसात के कारण खाराब हुई सड़कों की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	कोटगढ़, कुमारसैन तथा ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों तथा अन्य तकनीकी स्टाफ की पूर्ण नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	प्रदेश के राजस्व/आय में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन तथा उद्यान विभागों में आधुनिक नीति अनुसार और नए स्रोतों का सृजन किया जाए।	पर्यटन/उद्यान विभाग
6.	नारकण्डा से हाट रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	RTDC
7.	सब-तहसील बड़ागांव तथा मतयाण खोलने की जो अधिसूचना रद्द की गई है उसे बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
8.	ठियोग अस्पताल को 200 बिस्तर करने की जो अधिसूचना रद्द की गई है उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
9.	ठियोग बाईपास का निर्माण कार्य तीव्रगति से पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

3. श्री हरीश जनारथा, शिमला शहरी

1.	शिमला शहरी में विद्यमान पार्किंगों में वाहन खड़े करने की क्षमता (Parking slots) में वृद्धि की जाए।	शहरी विकास/ नगर निगम शिमला
2.	शहरी क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने में आ रही बाधा, एनजीटी के आदेशों को हटाया जाए या इनका सरलीकरण किया जाए।	वन/ शहरी विकास विभाग
3.	सभी विकास के प्रोजेक्ट/कार्यों में एफसीए/एफआरए लग रहा है इस प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाए नहीं तो कोई भी विकास कार्य करना सम्भव नहीं है।	वन विभाग
4.	शिमला शहर के विकास के लिए अलग से बजट का विशेष प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास विभाग
5.	नगर निगम द्वारा टैक्स क्लोकशन के कार्य को पूरा किया जाए। जो विभाग/लोग कर नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।	शहरी विकास/नगर निगम
6.	परिवहन विभाग द्वारा जो पार्किंग राजस्व नगर निगम को दिया जाना है उसे शीघ्र प्रदान किया जाए।	परिवहन/नगर निगम शिमला
7.	जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर में केवल छोटी बसों या 20-25 सीट वाली ट्रेवलर का ही संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
8.	शिमला शहर के साथ-साथ जहां पर भी स्मार्ट सिटी से काम होना है, पूरी योजना/प्लान के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर आधुनिक रूप से विकास के कार्य होने चाहिए।	शहरी विकास विभाग

9.	पेयजल की समस्या से शिमला शहर की जनता को निजात दिलाई जाए तथा पानी के स्टोरेज टैंकों का निर्माण वहां किया जाए जहां पर पानी पहुंचाना/जरूरत है।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
10	नए एसटीपी प्लांट्स बनाने के स्थान पर शिमला शहर में या इससे सटे पुराने एसटीपी प्लांट्स का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार किया जाए।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
11	शिमला शहर में विद्यमान केन्द्रीय विभागों/संस्थानों से भी पूरा टैक्स लिया जाए ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
12	शिमला शहर में विद्यमान केन्द्रीय विभागों जैसे रेलवे व अन्य संस्थानों के पास खाली पड़ी भूमि को राज्य सरकार विकास कार्यों (पार्किंग, शॉपिंग मॉल, सौन्दर्यकरण अन्य गतिविधियों) हेतु लीज पर/अधिग्रहण/अन्य माध्यम से लेकर शहर का विकास करे।	शहरी विकास विभाग
13	शिमला शहर के भीतर रिहैबिटेशन सेन्टरों का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ स्वास्थ्य विभाग
4. श्री नन्द लाल, रामपुर		
1.	विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित गत 5-6 वर्षों की डी.पी.आर. को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लो0नि0/ जल शक्ति विभाग
2.	ननखड़ी-रामपुर की जीवनरेखा, टिक्कर-खमाड़ी सड़क 52 कि0मी0 की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी पड़ती है जिससे हर साल यह सड़क खराब हो जाती है इसलिए हर वर्ष/दो वर्ष के अन्तराल पर इसकी मै0/टा0 का कार्य नियमित रूप से किया जाए। साथ ही इस सड़क की मुरम्मत की 2 डी.पी.आर. केन्द्र प्रस्तावित है को शीघ्र स्वीकृत कर मुरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
3.	लालसा-चिकसा सड़क जो बनकर तैयार है तथा पास भी हो चुकी है लेकिन वहां पर बस नहीं जा सकती। इस सड़क पर बस चलाने के लिए इसका सुधार किया जाए साथ ही मैटलिंग टारिंग के धीमी गति से हो रहे कार्य को तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
4.	बांदली खड्ड से सुंगरी सड़क की दयनीय स्थिति को (8 कि0मी0 विशेष स्थान) गुणवत्ता के साथ शीघ्र ठीक किया जाए।	लो0नि0 विभाग
5.	रामपुर में जाम की समस्या को हल करने के लिए बस स्टैण्ड से आगे की तरफ (across the river) विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित पुल का निर्माण किया जाए जिसके लिए प्रोजेक्ट से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।	लो0नि0 विभाग
6.	शानधार-शाँईकोटी, चेवड़ी-नगालटी, चासनी-मङोग के निर्माण/ मैटलिंग /टारिंग के कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
7.	फांचा-नन्ती-टिक्कर सड़क, नोगली से ऊपर खनोरटू सड़क की डीपीआर तैयार कर शीघ्र इसे स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लो0नि0 विभाग
8.	उद्यान विभाग के अधीन बनने वाले सीए स्टोर झांगड़ का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूर्ण किया जाए। साथ ही एक नया सीए स्टोर रामपुर एरिया में एनएच के साथ बद्राश में निर्मित किया जाए।	उद्यान विभाग/ HPMC
9.	सराहन मन्दिर से बशनकंडा रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
10	राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ की ज्यूरी कॉलेज की कक्षाएं अन्य स्थान पर अन्य भवन में चल रही हैं शीघ्र ही इस महाविद्यालय के लिए भूमि का प्रबन्ध कर भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग

1 1	कोटला इंजिनीयरिंग कॉलेज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कर सभी ट्रेड की कक्षाओं का सुचाल संचालन सुन्दरनगर के स्थान पर इसी कॉलेज से किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
1 2	रा०व०मा० पाठशाला टिप्पर-मझोली, शोली, कुंगलबाल्टी तथा खमाड़ी के निर्माणाधीन भवनों के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
1 3	स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग पांच साल से बन रहे ट्रामा सेन्टर खनेरी के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
1 4	सब्जी मण्डी डकोलर, रामपुर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
1 5	निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग में ड्राईवरों तथा कन्डकर्टरों की कमी को दूर कर बन्द पड़े 15-16 रुटों पर बस सेवा प्रारम्भ की जाए। साथ ही रामपुर से मुद्रिका बसों का भी संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
1 6	रामपुर में नदी पार के कुछ सीमित क्षेत्र जैसे ब्रौं तथा जगातखाना (कुल्लू क्षेत्र) को डी.एस.पी. रामपुर के अधीन किया जाए ताकि नशे की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नकेल करी जा सके।	पुलिस विभाग
1 7	रामपुर में पार्किंग की समस्या को हल किया जाए।	उपायुक्त / लोक निर्माण विभाग
1 8	निर्वाचन क्षेत्रों की पीएचसीज़ में स्टाफ नर्सों की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
1 9	रामपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग

1 1. जिला लाहौल-स्पिती

1. श्री रवि ठाकुर, लाहौल-स्पिती

1.	लाहौल स्पिती की भौगोलिक एवं पर्यटकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे पेड़-पौधों को लगाया जाए जिससे आकसीजन की कमी को दूर किया जा सके और आने वाले पर्यटक रात को भी यहां छहर सकें जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	पर्यटन/ वन/ जनजातीय विकास विभाग
2.	अन्य राज्यों की सीमा से सटे लाहौल स्पिती के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत/सुदृढ़ किया जाए ताकि भारी बर्फबारी (6 माह/अधिकांश) में भी स्थानीय लोग कुल्लू, मनाली, बंजार, सोलन, धर्मशाला इत्यादि स्थानों पर माझग्रेट होने पर मजबूर न हों और घुसपैठिये यहां की भूमि पर कब्जा न कर पाएं।	जनजातीय विकास विभाग/ उपायुक्त
3.	लाहौल स्पिती में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए क्योंकि यहां पर कभी भी बर्फली बाढ़, भारी वर्षा/बर्फबारी होती रहती है और अधिकतर बर्फबारी के कारण पानी की पाईपें हमेशा जाम रहती हैं।	जल शक्ति विभाग
4.	क्षेत्र में इनो हारवेस्टिंग प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	उदयपुर, केलांग तथा काजा में सीवरेज की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	केलांग में विशेषज्ञ डाक्टरों के सात में से छः पद नियुक्त हैं इन्हें भरा जाए तथा काजा क्षेत्र के लोगों को अलसर, कैसर, हेपाटाइटिस-बी हो रहा है इस बारे विभागीय टीम का प्रबन्ध कर नियीक्षण के लिए भेजा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	लाहौल स्पिती के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केलांग में आईसीएमआर के अधीन NIRATH नाम का संस्थान स्वीकृत किया गया है इसे जनरित में चालू (functional) किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग

8.	निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों में विज्ञान विषय (फिजीक्स, कैमिस्ट्री, मेडिकल) के अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	शिक्षा विभाग
9.	पॉलटेक्निक कॉलेज उदयपुर में स्वीकृत है इसकी कक्षाएं सुन्दरनगर में चल रही हैं, इन कक्षाओं का सुचारू संचालन उदयपुर से ही युनिशनित किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
10	लाहौल स्पिति को (दारचा पंचायत में 500-700 बीघा भूमि पर) पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
11	क्षेत्र में पशु चिकित्सकों/सहायकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाए।	पशु पालन विभाग
12	चार रोपवे निर्माण की प्रस्तावनाओं को पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए।	RTDC
13	पर्यटन की दृष्टि से काजा, क्वांग, सिस्सु, जिस्पा में बनने वाले आईस स्केटिंग रिंक, स्की लिफ्ट, आईस हॉकी इत्यादि के कार्यों को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	पर्यटन विभाग/उपायुक्त लाहौल-स्पिती
14	लाहौल स्पिती में कम उंचाई वाले पेड़ों (कश्मीर विलो) को लगाया जाए और क्षेत्र में लगे (चांगमा आदि किरम के) पेड़ों की नस्ल में सुधार किया जाए।	वन विभाग
15	उदयपुर-तिंदी सङ्क, सुन्दोह-ग्राम्फू-काजा (SKTT & SKG) सङ्क की एफसीए /एफआरए के मामलों को शीघ्र निपटाकर इन सङ्कों के मैटलिंग/टारिंग के कार्य को शीघ्र गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16	जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगते सिंकुला पास तथा सरचु क्षेत्र की डिमार्केशन करवाई जाए।	राजस्व विभाग
17	लगभग 600 के करीब एसपीओज़ (Special Police Officer) अपनी सेवाएं दुर्गम बर्फीले ईलाकों में प्रदान कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए या उचित वेतन के साथ सारे लाभ प्रदान किए जाएं।	पुलिस विभाग
18	नवीकरणीय ऊर्जा (renewal energy) के क्षेत्र में लाहौल स्पिती में बड़ा प्लांट स्थापित किया जाए।	ऊर्जा/हिम ऊर्जा विभाग/ HPPCLtd.
19	क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए 4 मेगावॉट के प्रोजेक्ट कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	HPPCLtd./ हिम ऊर्जा विभाग
20	रौंगटौंग प्रोजेक्ट तथा ट्रांशमिशन लाईन में सुधार किया जाए।	HPPCLtd./ HPTCLtd.
21	मुदभाव सङ्क तथा लियो बाई पास सङ्क का निर्माण/सुधार/विस्तार/सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
22	परिवहन विभाग की पुरानी बर्तों के स्थान पर नई बर्तों प्रदान की जाएं।	परिवहन विभाग
23	क्षेत्र में डिजल पम्म लगाया जाए तथा शैड बनाया जाए।	परिवहन विभाग
24	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा Budhist Institute University को इस क्षेत्र में स्थापित किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

दो दिवसीय बैठकों के अन्त में मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि इन तीन दिवसीय बैठकों में 68 विधायकों में से 65 माननीय विधायकों ने भाग लिया। बैठकों में प्रदेश महत्व के विभिन्न मुद्दे माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए हैं। कुछ मुद्दों पर बैठकों में ही निर्णय लिए गए हैं। अन्य मुद्दों पर विभाग तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत करवाएंगे। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा तथा विकास में रही त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

बैठकों के समापन पर मुख्य सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्रीगण, विधायकों, समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी उपायुक्तों व उपस्थित अन्य अधिकारियों का तीन दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया तथा स्पष्ट किया कि तीन दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा तुरन्त एवं पूर्णतः से पालन किया जाएगा। प्रदेश के चहंमुखी तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के लिए सम्पूर्ण प्रशासन सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा। सभी सम्बन्धित विभाग बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय विधायकों तथा योजना विभाग मुख्यालय को समयबद्ध सीमा में अवगत करेंगे। तीन दिवसीय बैठकें धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुईं।

तीन दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश

क्र. सं.	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के निर्देश	सम्बन्धित विभाग
1.	प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों तथा पानी के पक्के स्रोतों (Permanent source of water) को ध्यान में रखते हुए ही सिंचाई की योजनाओं को विधायक प्राथमिकता में डालें ताकि सफलतम सिंचाई योजना (Assured Irrigation) की सुविधा जनता को प्रदान की जा सके।	समस्त माननीय विधायक/ जल शक्ति विभाग
2.	विधायक प्राथमिकता योजनाओं के निर्धारित प्रपत्र पर सङ्केत एवं पुल, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण पेयजल/ मल निकासी योजनाओं के शीर्ष लम्बे समय से चल रहे हैं। आज की इन बैठकों से ही सभी माननीय प्रपत्र में इंगित शीर्षों के अतिरिक्त नाबार्ड के तहत आर.आई.डी.एफ. कार्यक्रम की Eligible Activity की योजनाओं को भी प्रदान कर सकते हैं, जिस पर सरकार के दिशा-निर्देशोंनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	योजना विभाग
3.	शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान तथा पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर योगदान प्रदान कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है जिसके लिए किसी एक जिला को पर्यटन राजधानी (Tourism Capital) बनाना है।	शिक्षा/स्वास्थ्य/ पर्यटन विभाग
4.	राज्य को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने में सभी विभाग प्रयास करे तथा अनचाहे खर्चों पर रोक लगाए।	समस्त विभाग/ उपायुक्त
5.	Electric Vehicle Programme को विभाग तीव्रगति से बढ़ाए।	परिवहन विभाग
6.	सभी विभागीय अधिकारी विधायक प्राथमिकता योजनाओं के साथ-साथ अन्य प्रकार की सभी योजनाओं को निर्धारित समयावधि (Targeted / Fixed Time Period) में ही पूरा करे।	समस्त विभाग/ उपायुक्त
7.	नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम की परिधी क्षेत्र की सीमाओं को 500 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर तक निर्धारित किया जाए तथा नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम के साथ लगती पंचायतों की खाली भूमि पर लोगों को किसी भी प्रकार का कर बोझ न पड़े इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिस क्षेत्र को नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम के अधीन किया गया है और जहां पर निकट 40-50 वर्षों तक विकास की सम्भावना नहीं है उनके घरों पर भी कर न लगाया जाए।	शहरी विकास विभाग

8.	गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर पंचायत के अन्तर्गत सेना की खाली पड़ी भूमि को अधिग्रहित करने बारे जिलाधीश तीव्रगति से कार्य करे।	उपायुक्त ऊना
9.	सभी विभाग टैण्डर की प्रक्रिया को 7 दिन तथा कार्य आबंटन को 20 दिन के भीतर करने के आदेशों का गम्भीरता से पालन करे।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त विभाग
10.	लोक निर्माण विभाग में Architecture (structural design) and Electrical की टैण्डर प्रक्रिया अलग-अलग न कर एक साथ ऑनलाईन की जाए। साथ ही ठेकेदारों को empanel किया जाए ताकि यदि एक काम न करे तो दूसरे ठेकेदार को उसी मूल्य पर काम दिया जा सके।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
11.	किसी भी योजना / परियोजना की AA & ES को Time bound किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
12.	लोक निर्माण विभाग में Architecture Wing प्रदेश की भौगोलिक तथा मौसमीय परिस्थितियों (छण्डे तथा गर्म इलाकों) को ध्यान में रखकर भवन निर्माण की योजना बनाए। कमरों के नवशों में परिवर्तन करने के साथ-साथ भवनों के नवशों को तैयार करते समय सोलर छत डिजाईन को प्रमुखता से अपनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
13.	लोक निर्माण विभाग में सङ्करों के निर्माण में पीसी तथा बीसी के उपयोग की महत्वता तथा वैकल्पता की रूपरेखा 14-15 फरवरी, 2023 की बैठक में प्रस्तुत करे।	लोक निर्माण विभाग
14.	जल शक्ति विभाग प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे पानी की योजनाओं का निर्माण कर आपूर्ति सुनिश्चित करे तथा per litre consumption में भी बढ़ोतरी करे।	जल शक्ति विभाग
15.	ठाउन हाल सुजानपुर का निर्माण हेतु चौगान के बाहर की भूमि हस्तांतरण का मामला राजस्व विभाग अधिसूचना/ एकट के साथ प्रस्तुत किया जाए।	उपायुक्त हमीरपुर
16.	जल शक्ति विभाग के डिवीजन में कुछ पंचायतें बड़सर तथा भोरंज डिवीजन में पड़ती हैं इन्हें हमीरपुर डिवीजन में शामिल करने बारे विभाग कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
17.	पुराना बस अडडा हमीरपुर के दांझ ओर, बांझ ओर तथा पीछे की तरफ भूमि अधिग्रहण करने बारे विभाग तथा उपायुक्त मिलकर 15 फरवरी तक मामला प्रस्तुत करे, क्योंकि इस बजट में इसका निर्माण कार्य करना ही है।	बस अडडा प्राधिकरण/ उपायुक्त हमीरपुर
18.	बस अडडा मैहरे/बड़सर के निर्माण सम्बन्धी भूमि की माननीय विधायक द्वारा बताई गई तीनों साईटों (प्राइवेट द्रस्ट भूमि, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भूमि तथा वर्तमान प्रस्तावित भूमि) का परिवहन विभाग के साथ मिलकर, अध्ययन कर निर्माण सम्बन्धी मामला प्रस्तुत करे।	बस अडडा प्राधिकरण/ राजस्व विभाग / उपायुक्त हमीरपुर
19.	प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बैठने के लिए बैंच, शौचालय की व्यवस्था (Male and Female) अनिवार्य की जाए। साथ ही कितने मुरम्मत के लिए भवन, नए बनने वाले भवन इत्यादि का ब्यौरा 15 फरवरी, 2023 तक पूर्ण सुधारात्मक नीति के साथ प्रस्तुत करें।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
20.	प्रदेश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाएगा।	लो0 नि0/ शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ सम्बन्धित विभाग

21.	मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत मरीजों के बैंक खातों को लिंक किया जाए तथा ऑनलाइन माध्यम से पैसे सीधे उनके खाते में 5 तारीख से पहले प्रदान करने के लिए आई.टी. विभाग के साथ मिलकर सभी उपायुक्त कार्य करे।	स्वास्थ्य /आई.टी. विभाग/ समस्त उपायुक्त
22.	सभी विभागों जिनके विकास कार्य एनजीटी के कारण रुके हुए हैं उनकी सूची/ आदेश सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएं।	समस्त विभाग/ सामान्य प्रशासन
23.	मनाली आईस स्केटिंग रिंक तथा बाई पास सड़क के कार्य को expedite किया जाए।	लोक निर्माण/ वन विभाग
24.	पूरे प्रदेश में पर्यटन तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छोटे स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन निर्माण (Eco friendly) में कुछ नियमों एवं शर्तों का प्लान तैयार किया जाए।	पंचायती राज/ पर्यटन विभाग
25.	कन्सलटेन्टी टैण्डर समयावधि को कम किया जाए।	लोक निर्माण वि०
26.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सुरंग निर्माण के सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।	लोक निर्माण विभाग
27.	बगासराहन से बठाड़ के लिए सुरंग का निर्माण करने बारे विभाग कार्य करे।	लोक निर्माण वि०
28.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने तथा नए स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने के स्थान पर पुराने संस्थानों को सुदृढ़/मजबूत करने बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	स्वास्थ्य विभाग
29.	पच्चाद विधान सभा क्षेत्र के लिए हाब्बन से सुरंग निर्माण करने बारे विभाग माननीय विधायिका से मिलकर कार्यवाही करे।	लोक निर्माण विभाग
30.	मैडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण में अनुमति के अतिरिक्त आरहे वृक्षों को शीघ्र कटवाकर कार्य चालू किया जाए।	वन / स्वास्थ्य विभाग
31.	बाहरी राज्यों से सटे जिलों में माईनिंग को रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक विशेष ध्यान दे।	पुलिस विभाग/ सम्बन्धित उपायुक्त
32.	नाहन नगर परिषद में पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
33.	भविष्य में बनने वाली पैयजल योजनाओं की डी.पी.आर. में नवीनतम तकनीक, फिल्टर तथा यू.वी. इत्यादि का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए भारत सरकार की नई तकनीक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का अध्ययन कर नीति तैयार की जाए।	जल शक्ति विभाग
34.	श्री रेणुका जी निर्वाचित क्षेत्र में नौहराधार के ऊपर के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
35.	सभी यूजर ऐजेन्सी तथा डीएफओ उपायुक्त के साथ मिलकर वन आपत्तियों का निपटान निर्धारित Time bound अवधि में पूरा करे और एफसीए से सम्बन्धित आपत्तियों का निपटान 3 दिन के भीतर यूजर ऐजेन्सी द्वारा किया जाए।	समस्त उपायुक्त / समस्त विभाग
36.	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि०मी० की दूरी बढ़ रही है। इसके स्थान पर यहां पर एक सुरंग का निर्माण करने बारे लोक निर्माण विभाग उचित कार्यवाही करे।	लोक निर्माण विभाग
37.	पूरे प्रदेश में भूमि की रजिस्ट्री ऑनलाइन घर बैठे करने तथा प्रदेश के भीतर एक स्थान से ही किसी भी जिला में रजिस्ट्री करने की सुविधा जनता को प्रदान करने के लिए विभाग राष्ट्रीय स्तर पर चल रही e-registry सुविधा का पायलट आधार पर प्रयोग कर इसे कार्यान्वित करने बारे कार्यवाही करे।	राजस्व विभाग

3 8.	प्रदेश के सभी डीएफओ तथा यूजर एजैन्सी को एफसीए तथा एफआरए के मामलों में उपायुक्तों के अधीन जवाबदेह किया जाए।	वन विभाग/ समर्पण उपायुक्त/ समर्पण विभाग/ सामान्य प्रशासन
3 9.	प्रदेश में जिस किसी विभाग में कन्स्ट्रक्शन डिवीजन है वह योजना को निर्धारित समयावधि (Targeted / Fixed Time Period) में पूरा करेगा। साथ ही ठेकेदारों को भी एम्पैनल किया जाए ताकि यदि एक काम न करे या बीच में छोड़ दे तो उसे दण्ड के रूप में जुर्माना लगाकर अन्य ठेकेदार को कार्य प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण/ हिमुडा/ समर्पण सम्बन्धित विभाग
4 0.	लगभग 15 साल पहले की योजना मझयार, कलूड, अमलैहड़ जिससे निरन्तर निर्बाध सिंचाई की सुविधा मिलनी थी अभी तक क्यों नहीं आरम्भ हुई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	जल शक्ति विभाग
4 1.	सिवील अस्पताल जयसिंहपुर में लिफट, ट्रांसफार्मर, पानी इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं का सुचारू संचालन किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4 2.	एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ के कार्यालयों/आवासीय भवनों का निर्माण एक ही स्थान पर करने के लिए प्रशासनिक सचिव रूपरेखा तैयार करे।	राजस्व/ग्रामीण विकास विभाग
4 3.	सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई, परकोलेशन वैल, अन्य जनहित स्कीमों इत्यादि को ध्यान में रखकर इसके साथ लगते लगभग 1-2 कि०मी० क्षेत्र में खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए और अवैध खनन पूरी तरह से रोका जाए।	उद्योग/ जल शक्ति विभाग
4 4.	जल शक्ति विभाग में योजनाओं को अवैध खनन से बुकसान करने वालों के विरुद्ध एफआईआर करने का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4 5.	प्रदेश के पुराने शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़िकरण हेतु सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करें।	प्रारम्भिक शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ सम्बन्धित विभाग
4 6.	जयसिंहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में राजीव डे बोर्डिंग स्कूल तथा कलस्टर विद्यालय खोलने बारे उपायुक्त कार्यवाही करे।	उपायुक्त कांगड़ा/ शिक्षा विभाग
4 7.	धर्मशाला से नड़ी होते हुए सतोवरी-बरनेट-घेरा सड़क को पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4 8.	शाहपुर के बोह क्षेत्र में लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा
4 9.	निर्वाचन क्षेत्र शाहपुर के लिए बल्ह-नड़ी-करेरी-खड़ीबोही रोपवे निर्माण का मामला पर्वतमाला में प्रस्तावित किया जाए।	RTDC
5 0.	मांझी से धर्मकोट तथा ट्यूलिप गार्डन से चटकर रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
5 1.	पीएमजीएसवाई के मानदण्डों के अनुसार प्रदेश में बनने वाली सड़कों/लिंक सड़कों (नाबार्ड/अन्य माध्यम) का निर्माण/मैटलिंग / टारिंग की जाए।	लोक निर्माण विभाग
5 2.	बीबीएनडीए के अधीन क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसे गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए।	शहरी विकास/ उद्योग विभाग
5 3.	नालागढ़-भरतपुर, कालाअम्ब-पौटा, नालागढ़-बघेरी-खातीवाल-गड़मौड़ा, शिमला-मटौर सड़कों को 4 लेन बनाने के मामले में तीव्रता के साथ कार्य किया जाए और साथ ही सोलन-परवाणु 4 लेन सड़क की रिअलाईनमेंट की जाए।	लोक निर्माण विभाग
5 4.	विभाग भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25-50 सालों के लिए प्लान बनाकर पार्श्वों के डाए की क्षमता को बढ़ाए।	जल शक्ति विभाग

5 5.	विभाग सङ्कों पर पड़ी पाईपों को एक महीने के भीतर स्टोर में पहुंचाए और विभाग ठेकेदारों के माध्यम से नलों में उपयोग लाईनों को भूमिगत करे।	जल शक्ति विभाग
5 6.	कसौली के कैन्टोनमेंट एरिया में 100 से अधिक वर्षों से रह रहे लोगों की सभी समस्याओं (भूमि खरीद, मकान मुरम्मत, पक्के रास्ते इत्यादि) को हल करने का मामला प्रस्तुत करे।	उपायुक्त सोलन
5 7.	नाहन सङ्क से आगे जौड़जी से मल्ला सङ्क पिंजौर निकलती है इसे सीआरएफ के माध्यम से 5 मीटर चौड़ाई का बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5 8.	सुबाथु कॉलेज को सरकार ने अपने अधीन लिया है इसके स्टाफ की समस्या को हल करने के साथ-साथ युजीसी के दिशा-निर्देशों को भी जांचा जाए।	शिक्षा विभाग
5 9.	ज्योरिपतन-स्वारधाट रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में प्रस्तावित किया जाए।	RTDC
6 0.	माता नैनादेवी जी तथा बाबा बालक नाथ मन्दिर के बीच की सङ्क दूरी को कम करने के लिए गोविन्द सागर झील पर केवल फैरी रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
6 1.	घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान कम्बाइन ऑफिस भवन निर्मित किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इस भवन को अन्य गतिविधियों पार्किंग, हॉल, कॉन्फ्रेन्स हॉल, आवासीय इत्यादि के लिए पायलट आधार पर चालू किया जाए ताकि सकारात्मक परिणाम आने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके।	शहरी विकास विभाग/ उपायुक्त बिलासपुर
6 2.	औहर में ट्रॉस्ट कॉम्प्लैक्स के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि पर्यटन विभाग को प्रदान की जाए।	राजस्व/कृषि/पर्यटन विभाग
6 3.	प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने की समयावधि को कम किया जाए।	राजस्व विभाग
6 4.	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर छोटे-छोटे करबों में लो वोल्टेज की समस्या, सङ्क के साथ दुकानों तथा साथ लगते एरिया में बिजली की तारों के स्थान पर ओवरहैंड केबल डालने के लिए डीपीआर का निर्माण किया जाए।	HPSEBLtd.
6 5.	पुलिस चौकी एम्स बिलासपुर को पुनः अधिसूचित किया जाए।	पुलिस विभाग
6 6.	नैनादेवी जी शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए द्रस्ट की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे थे जैसे लिफ्ट लगाना, गोविन्द सागर झील की तरफ ग्लास पुल, सैलफी प्वार्इट इत्यादि जो बन्द पड़े हैं इन्हें चालू किया जाए।	उपायुक्त बिलासपुर/ पर्यटन विभाग
6 7.	करसोग में Soil Testing Lab चलाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अन्तर्गत मामला चलाया जाए।	कृषि विभाग/ Soil Conservation
6 8.	1952 की अस्थाई पुलिस चौकी डैहर को स्थायी किया जाए।	पुलिस विभाग
6 9.	सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र में सलापड़ से तत्तापानी के रुट पर तथा सुन्दरनगर नहर में जैटीज़ चलाई जाएं।	पर्यटन विभाग/ HPPCLtd.
7 0.	सुन्दरगर के सुकेत में झील के किनारे कैफे चल रहा है जहां पर दो कमरे भी हैं। इस कैफे के विस्तारीकरण के लिए Convention Hall के निर्माण कार्य को किया जाए।	पर्यटन विभाग
7 1.	पंडोह, सलापड़ तथा सुन्दरनगर में बीबीएमबी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्यापकों के पूरे पदों को सुचारू किया जाए।	शिक्षा विभाग
7 2.	किसी भी वर्तमान/ पूर्व माननीय सांसद, मन्त्री / विधायक व अन्य के शिलान्यास/पटिटकाएं यदि तोड़ी गई हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग पुनः उसी स्थान पर स्थापित करे और पुलिस विभाग ऐसे दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।	पुलिस/ समस्त विभाग/ समस्त उपायुक्त

73.	नाचन विधान सभा क्षेत्र में बरसात में बहे हुए 6 पुलों (5 वन विभाग+ 1 पंचायत द्वारा निर्मित) को पुनः रिस्टोर किया जाए।	वन/पंचायती राज / लोक निर्माण/राजस्व विभाग/ उपायुक्त मण्डी
74.	द्रंग विधान सभा के अन्तर्गत गुम्मा एनएच सब-डिवीजन में बेकार पड़े बुलडोजर तथा स्नोकटर लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नम्बर-1 को प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण वि०
75.	पुलिस चौकी लड़भड़ोल को थाना बनाने की रद्द अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग
76.	रोगी कल्याण समितियों में प्रधान तथा बीडीओ को भी शामिल किया जाए तथा मनरेगा के तहत वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कम्प्यूटर ऑपरेटर 120 दिन हेतु पंचायत घरों, अस्पतालों अन्य सरकारी कार्यालयों में नियुक्त करने बारे विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत करे। साथ ही बीडीओ तय करे कि मनरेगा में लगे लोगों को 120 दिन का काम सुनिश्चित करें।	स्वास्थ्य/ ग्रामीण विकास विभाग
77.	अटल आदर्श विद्यालय के अधूरे कार्य को पूर्ण कर कलस्टर विद्यालय/डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में इसका सुचारू संचालन किया जाए।	शिक्षा विभाग
78.	प्रदेश के भीतर चलाई जा रही सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर करवाने का कार्य सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही करेगा।	शिक्षा विभाग
79.	मण्डी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग एक सप्ताह के भीतर आवश्यक भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करे।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग / उपायुक्त मण्डी
80.	बल्ह में बनने वाले एयरपोर्ट को नंदगढ़ नामक स्थान पर निर्मित करने बारे विभाग निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	पर्यटन विभाग
81.	बस अडडा मण्डी को लोकल बस अडडे से 2 कि०मी० आगे की भूमि पर निर्माण करने बारे विभाग कार्यवाही करे।	बस अडडा प्राधिकरण
82.	प्रत्येक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष में ही किसी योजना की अनुमानित लागत में कई गुना की वृद्धि हो जाती है जोकि ठीक नहीं है, इसलिए लोक निर्माण विभाग ८० ५ करोड़ से ऊपर की सभी योजनाओं का इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड का एस्टीमेट ऑफिट करवाए साथ ही जिम्मेदारी भी निर्धारित करे।	लोक निर्माण विभाग
83.	उच्च न्यायालय में लम्बित अरबीट्रेशन के सभी मामलों को वापिस (withdraw) लिया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
84.	भविष्य में बनने वाली सभी योजनाओं में अरबीट्रेशन क्लाज को समाप्त करने की सूचना टैण्डर में ही इंगित की जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
85.	एनजीटी के कारण लम्बित मामलों को निपटाने के कार्य में तेजी लाई जाए।	मुख्य सचिव/ सामान्य प्रशासन
86.	पुलिस चौकी रिवालसर को थाना बनाने की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग
87.	सरकाघाट-हमीरपुर सड़क के अन्तर्गत कलखर-नेरचौक सड़क को चौड़ा (विस्तारीकरण) करने की डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लो०नि० विभाग
88.	साच पास के ऊपर मैडोज (Meadows) के क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने (रोपवे, ट्रेल इत्यादि) पर विभाग कार्य करे।	पर्यटन विभाग/ RTDC
89.	चम्बा जिला के जोत को जोड़ने वाली सड़क के कार्य (निर्माण/ प्रोटेक्शन वॉल/मैटलिंग/टारिंग इत्यादि) को पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

9 0.	चम्बा जिला के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जिला में लगे पॉवर प्रोजेक्टों / सीएसआर/सीआईआर के माध्यम से अतिरिक्त एम्बलैन्सों का ड्राईवरों सहित प्रबन्ध करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9 1.	होली-उतराला सड़क को सुरंग के साथ एनएच घोषित करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9 2.	प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष दी /ली जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के स्थान पर हैल्थ कार्ड बनाकर, प्रीमियम देकर कैशलैस सुविधा प्रदान करने बारे विभाग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	स्वास्थ्य विभाग
9 3.	प्रदेश के कारागार/बंदीगृह/जेलों में रह रहे कैदियों का भी हिमकेयर कार्ड बनाकर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर दी जाए।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग
9 4.	मैडिकल कॉलेज चम्बा के लिए पानी की स्कीम निर्माण के कार्य को एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9 5.	चम्बा शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पुराने बस अडडे के स्थान पर मल्टीपर्पज भवन का निर्माण करने बारे शहरी विकास विभाग कार्यवाही करें।	शहरी विकास
9 6.	रोपवे विभाग केवल रोपवे से सम्बन्धित का ही निर्माण करे न कि किसी अन्य का। स्टेडियम/सुरंग व अन्य निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग ही करेगा।	RTDC/लोक निर्माण विभाग
9 7.	चम्बा हैलीपोर्ट के नीचे की तरफ की भूमि को सुरक्षित करने के मामले में उपायुक्त कार्यवाही करें।	उपायुक्त चम्बा
9 8.	कुपवी/देहा में अग्निशमन केन्द्र को बहाल किया जाए।	अग्निशमन विभाग
9 9.	छैला-यशवन्तगढ़-राजगढ़/कुमारहटी सड़क को एनएच किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
1 0 0.	पर्यटन की दृष्टि से सराहं मन्दिर से चूझधार-नौहराधार के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए और पर्वतमाला के तहत प्रेषित किया जाए।	RTDC
1 0 1.	उद्यान विभाग के रु0 1134 करोड़ के प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	उद्यान विभाग
1 0 2.	नारकण्डा से हाट रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
1 0 3.	पहाड़ी क्षेत्रों (सेब बैल्ट, सीमेन्ट फैक्टरी बैल्ट) की सड़कों की मैटलिंग/टारिंग करने (मोटाई-30 एमएम, 40 एमएम इत्यादि) के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि प्रदेश की सड़कों की कम से कम 5-6 साल तक मुरम्मत न करनी पड़े।	लोक निर्माण विभाग
1 0 4.	प्रदेश के जिन सरकारी भवनों पर रटे नहीं हैं उन सब मामलों को न्यायालयों से वापिस (withdraw) लाया जाए।	लोक निर्माण/जल शक्ति/ समर्त सम्बन्धित विभाग
1 0 5.	शिमला शहरी में लोकल रूट्स पर 50 छोटी गाड़ियां 20-30 सीट वाली चलाई जाएं।	परिवहन विभाग
1 0 6.	शिमला शहर के सर्कुलर सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक ही बार में भूमि अधिग्रहित की जाए।	शहरी विकास विभाग/नगर निगम
1 0 7.	नगर निगम में मर्ज एरिया को सीवरेज की सुविधा प्रदान करने के लिए एसटीपी निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया में भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किये जाएं।	शहरी विकास विभाग
1 0 8.	विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित गत 5-6 वर्षों की डी.पी.आर. को विभाग मुख्य अभियन्ता तीव्रगति से प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें।	लो0नि0/ जल शक्ति विभाग
1 0 9.	रामपुर सीए स्टोर जांगड़ के निर्माण हेतु भूमि एचपीएमसी के नाम की जाए और एकसाथ ही टैण्डर प्रक्रिया भी शुरू कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूर्ण किया जाए। साथ ही ISRO and DRDO की नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का विस्तृत अध्ययन भी किया जाए।	उद्यान विभाग

110.	प्रदेश में निर्मित होने वाले सेब के सिरके (Apple Cider Vinegar) की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की जाए साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार/प्रसार (Marketing) किया जाए।	उद्यान विभाग/ कृषि विपणन बोर्ड
111.	सराहन मन्दिर से बशनकंडा तथा खड़ा पत्थर से गिरी रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
112.	रामपुर में नदी पार के कुछ सीमित क्षेत्र जैसे ब्रौं तथा जगातखाना (कुल्लू क्षेत्र) को डी.एस.पी. रामपुर के अधीन किया जाए साथ ही प्रदेश में ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के मामलों में भी इसी उदाहरण/नीति को अपनाकर कानूनी शक्तियां हस्तांतरित की जाएं ताकि नशे की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नकेल कर्सी जा सके।	पुलिस विभाग
113.	प्रेदश के बर्फीले ईलाकों जैसे लाहौल स्थिती, पांगी, डोडरा के ऊंचे क्षेत्र आदि में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर उनके द्वारा उपयोग की जा रही पाईपों, तकनीक, को अपनाकर, परीक्षण कर उपरोक्त स्थानों पर उसी तकनीक और पाईपों (बर्फ में न जमने वाली) का इस्तेमाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
114.	लाहौल स्थिति के काजा में आईसीएमआर की टीम को भेजा जाए और वहां के लोगों में अलसर, कैंसर, हेपाटाईटिस-बी के बढ़ते मामलों की जांच की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
115.	लाहौल स्थिति में केलांग के ऊपर मांचु के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन/पर्वतारोहण खेल संस्थान
116.	लाहौल स्थिति क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए 4 मेगावॉट के प्रोजेक्ट कार्य को सितम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाए और अक्तूबर से बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही इसमें 1 मेगावॉट का बैटरी बैकअप भी रखा जाए।	HPPCLtd./ हिम ऊर्जा विभाग
117.	स्थिति से मुदभावा होकर रामपुर के लिए पिनवैली में सुरंग के साथ सड़क निर्माण की डीपीआर/प्रस्तावना (वार्फबैंट विलेज सड़क के नाम से) बनाकर केन्द्र से स्वीकृत करवाई जाए। साथ ही इसके एफसीए तथा एफआरए के मामलों को उपायुक्त किन्जौर तथा लाहौल मिलकर शीघ्र निपटान करें।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त किन्जौर तथा लाहौल स्थिति

वार्षिक योजना बजट (2023-24) के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 01, 02 तथा 03 फरवरी, 2023 को होने वाली बैठकों के लिए माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु का उद्घाटन भाषण।

1. मैं, समस्त प्रतिभागियों का वार्षिक योजना वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु आयोजित इस बैठक में स्वागत करता हूँ।
2. इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श तथा परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। हम प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। मैं आपकों सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानकर इसके प्रभावी कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
3. हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किया जाए। राज्य सरकार अध्याचार में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।
4. हमारी सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 के आकार को ₹0 9523.82 (नौ हजार पांच सौ तेर्झस दशमलव बयासी) करोड़ प्रस्तावित किया है।
5. वर्ष 2022-23 के दौरान नाबार्ड से ₹0 809.43 करोड़ (आठ सौ नौ दशमलव तेतालीस करोड़) की जिसमें लोक निर्माण विभाग की 81 (ईक्यासी) एवं जल शक्ति विभाग की 69 (उन्हें) विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।
6. माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से Finance किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाता है।
7. आप सभी प्रदेश की प्रमुख समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। आवश्यकता है कि हम इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए संतुलित योजनाएं तैयार करें तथा इनके कार्यन्वयन को गति प्रदान करें। मैं, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी विकास कार्यक्रमों के संचालन में सरकार को सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. वर्ष 2023-24 के लिए सङ्केत एवं पुल, लघु सिंचाई, ग्रामीण पेयजल योजना एवं मल निकासी विकास शीर्षों में प्रति विधायक वास्तविक नई 06 योजनाएं बजट में सम्मिलित करने का प्रावधान है। माननीय विधायकों को यह छूट होगी कि वे सभी 06 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं।

9. पहली बार चुनकर आए विधायकों से अनुरोध है कि वह अपनी विकास योजनाओं की सूचना यदि निर्धारित प्रपत्र पर इस बैठक में उपलब्ध न करवा सकें तो अतिशीघ्र योजना विभाग को अलग से भिजवा दें ताकि उन्हें आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जा सके। मेरा समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से भी अनुरोध है कि वे माननीय विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं / शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें तथा उनके बहुमूल्य सुझावों पर अमल करें। विशेषतः लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग से आग्रह रहेगा कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 (नौ सौ बासठ) करोड़ के बजट परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति (reimbursement) दावे दिनांक 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें।
10. माननीय विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की डी.पी.आर. के बनने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए FCA/FRA/Gift deed आदि औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से निराकरण के लिए मैं निर्देश देता हूँ कि सम्बन्धित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर महीने प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।
11. दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करने तथा इस क्षेत्र में अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार इस दिशा में कई कारगर कदम उठाने जा रही है।
12. आपको प्रेषित प्राथमिकताओं के प्रपत्र-। के साथ हमने प्रपत्र-॥ भी संलग्न किया है जिसमें प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव बैठक में रखें।
13. मैं, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूँ कि बारी-बारी से सभी माननीय विधायक अपने बहुमूल्य विचार इस बैठक में रखें।

माननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की संशोधित जिलावार समय सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	दिनांक	समय
1.	1. ऊना (5) 2. हमीरपुर (5) 3. कुल्लू (4) 4. सिरमौर (5)	01-02-2023	अपराह्न 2:00 से 5:00 बजे
2.	1. कांगड़ा (15) 2. किंचौर (1)	02-02-2023	पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 बजे
3.	1. सोलन (5) 2. बिलासपुर (4) 3. मण्डी (10)	02-02-2023	अपराह्न 2:00 से 5:00 बजे
4.	1. चम्बा (5) 2. शिमला (8) 3. लाहौल व स्पीति (1)	03-02-2023	पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 बजे

माननीय मुख्य मन्त्री, हि०प्र०, की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की तीन दिवसीय बैठकों में जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार भाग लेने वाले माननीय मन्त्री एवं माननीय विधायकों का ब्यौरा ।

क्र. सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
01-02-2023 (सांघ: 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
1.	ऊना	1. गगरेट	श्री चैतन्य शर्मा	माननीय विधायक
		2. हरोली	श्री मुकेश अग्निहोत्री	माननीय उप मुख्यमंत्री
		3. ऊना	श्री सतपाल सिंह सत्ती	माननीय विधायक
		4. कुटलैहड़	श्री दिविन्द्र कुमार (भुट्टो)	माननीय विधायक
2.	हमीरपुर	1. भोंज	श्री सुरेश कुमार	माननीय विधायक
		2. सुजानपुर	श्री राजिन्द्र राणा	माननीय विधायक
		3. हमीरपुर	श्री आशीष शर्मा	माननीय विधायक
		4. बड़सर	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	माननीय विधायक
		5. नदौन	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू	माननीय मुख्य मन्त्री
3.	कुल्लू	1. मनाली	श्री भुवनेश्वर गौड़	माननीय विधायक
		2. कुल्लू	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		3. बन्जार	श्री सुरेन्द्र शौरी	माननीय विधायक
		4. आनी	श्री लोकेन्द्र कुमार	माननीय विधायक
4.	सिरमौर	1. पच्छाद	श्रीमति रीना कश्यप	माननीय विधायिका
		2. नाहन	श्री अजय सोलंकी	माननीय विधायक
		3. श्री रेणुका जी	श्री विनय कुमार	माननीय विधायक
		4. पांवटा	श्री सुख राम चौधरी	माननीय विधायक
		5. शिलाई	श्री हर्षवर्धन चौहान	माननीय मंत्री (उद्योग)
02-02-2023 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
5.	कांगड़ा	1. नूरपुर	श्री रणबीर सिंह	माननीय विधायक
		2. इन्दौरा	श्री मलेन्द्र राजन	माननीय विधायक
		3. फतेहपुर	श्री भवानी सिंह पठनिया	माननीय विधायक
		4. ज्वाली	श्री चन्द्र कुमार	माननीय मंत्री (कृषि)
		5. जसवां-प्रागपुर	श्री बिक्रम सिंह	माननीय विधायक
		6. ज्वालामुखी	श्री संजय रतन	माननीय विधायक
		7. जयसिंहपुर	श्री यादविन्द्र गोमा	माननीय विधायक
		8. सुलह	श्री विपिन सिंह परमार	माननीय विधायक
		9. नगरोटा	श्री रघुवीर सिंह बाली	माननीय अध्यक्ष(पर्यटन निगम)
		10. कांगड़ा	श्री पवन कुमार काजल	माननीय विधायक
		11. शाहपुर	श्री केवल सिंह	माननीय विधायक
		12. धर्मशाला	श्री सुधीर शर्मा	माननीय विधायक
		13. पालमपुर	श्री आशीष बुटेल	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		14. बैजनाथ	श्री किशोरी लाल	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
6.	किन्नौर	1. किन्नौर	श्री जगत सिंह नेहरी	माननीय मंत्री (राजस्व)

02-02-2023 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)

7.	सोलन	1. अर्की	श्री संजय अवस्थी	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		2. नालागढ़	श्री के.एल. ठाकुर	माननीय विधायक
		3. दून	श्री राम कुमार	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		4. सोलन	डॉ० धनी राम शाँडिल	माननीय मंत्री (स्वास्थ्य)
		5. कसौली	श्री विनोद सुल्तानपुरी	माननीय विधायक
8.	बिलासपुर	1. झण्डूता	श्री जीत राम कटवाल	माननीय विधायक
		2. घुमारवी	श्री राजेश धर्मणी	माननीय विधायक
		3. बिलासपुर	श्री सुभाष ठाकुर	माननीय विधायक
		4. श्री नैना देवी जी	श्री रणधीर शर्मा	माननीय विधायक
9.	मण्डी	1. करसोग	श्री दीप राज	माननीय विधायक
		2. सुन्दर नगर	श्री राकेश कुमार	माननीय विधायक
		3. नाचन	श्री विनोद कुमार	माननीय विधायक
		4. द्रंग	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	माननीय विधायक
		5. जोगिन्द्रनगर	श्री प्रकाश राणा	माननीय विधायक
		6. धर्मपुर	श्री चन्द्र शेखर	माननीय विधायक
		7. मण्डी	श्री अनिल शर्मा	माननीय विधायक
		8. बल्ह	श्री इन्द्र सिंह	माननीय विधायक
		9. सरकाघाट	श्री दलीप ठाकुर	माननीय विधायक

03-02-2023 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)

10.	चम्बा	1. चुराह	श्री हंस राज	माननीय विधायक
		2. भरमौर	डॉ० जनक राज	माननीय विधायक
		3. चम्बा	श्री नीरज नैययर	माननीय विधायक
		4. डलहौजी	श्री डी.एस. ठाकुर	माननीय विधायक
		5. भटियात	श्री कुलदीप सिंह पठनिया	माननीय अध्यक्ष(हि०प्र०वि०स०)
11.	शिमला	1. चौपाल	श्री बलबीर सिंह वर्मा	माननीय विधायक
		2. ठियोग	श्री कुलदीप राठौर	माननीय विधायक
		3. कसुम्पठी	श्री अनिरुद्ध सिंह	माननीय मंत्री (पंचायती राज)
		4. शिमला-शहरी	श्री हरीश जनारथा	माननीय विधायक
		5. शिमला-ग्रामीण	श्री विक्रमादित्य सिंह	माननीय मंत्री(लोक निर्माण)
		6. जुब्बल-कोटखाई	श्री रोहित ठाकुर	माननीय मंत्री (शिक्षा)
		7. रामपुर	श्री नन्द लाल	माननीय विधायक
		8. रोहडू	श्री मोहन लाल बराकठा	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
12.	लाहौल-स्पीति	1. लाहौल-स्पीति	श्री रवि ठाकुर	माननीय विधायक
